भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1761
जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

आरआरबी का ग्रामीण ऋण वितरण पर प्रभाव

1761. श्री भारत सिंह कुशवाह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) समेकन कार्यनीति के ग्रामीण ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन पर प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) क्या समेकित आरआरबी के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र उधार और ग्रामीण विकास पर ध्यान बनाए रखने के लिए कोई विशेष उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इस एकीकरण को लागू करने में संभावित तकनीकी और परिचालन चुनौतियों के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) समेकित आरआरबी की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित शासन सुधारों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सभी राज्यों में उक्त एकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2004-05 में आरआरबी का संरचनात्मक समेकन आरंभ किया था, जिसके परिणामस्वरूप 3 चरणों में समामेलन के माध्यम से आरआरबी की संख्या वित्तीय वर्ष 2004-05 में 196 से घटकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 43 हो गई।

दक्षता मान और लागत संबंधी युक्तिकरण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 'एक राज्य – एक आरआरबी' के सिद्धांत पर आगे भी आरआरबी के समेकन की प्रक्रिया को

जारी रखा है। समामेलन के पश्चात् समामेलित आरआरबी से बेहतर पूंजी आधार और संसाधनों तक पहुंच, उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने, परिचालन क्षेत्र में विस्तार और अधिक दृश्यता तथा ब्रांडिंग की अपेक्षा है।

(ख): समेकित आरआरबी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के संबंध में आरआरबी के लिए आरबीआई के विनियामकीय दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखेंगे, जिसके अनुसार उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का कम से कम 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए होगा।

(ग) से (ङ): प्रस्तावित समामेलन के लिए दृष्टिकोण टिप्पणी में एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और परिचालन संबंधी चुनौतियों, अर्थात् कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) एकीकरण/डाटा माइग्रेशन, डाउनटाइम और व्यावसायिक कार्यकलापों में व्यवधान, कार्मिकों की तैनाती और मानव संसाधन (एचआर) संबंधी मामले आदि के संबंध में परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

******